रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934
No. 361] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 570(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2007 और रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) संशोधन नियम, 2011 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **परिभाषाएं:-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "भाड़ा दर" से वर्गीकरण को समनुदेशित वर्ग दर के अनुसार उस वस्तु को लागू दर अभिप्रेत है।

(ख) "सामान्य भाड़े" से अनुज्ञेय वहन क्षमता तक लदी वस्तुओं के भार के लिए किसी वस्तु के वर्ग रेट पर वसूलनीय मालभाड़ा प्रभार और भार सह्यता अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुज्ञेय वहन क्षमता" से धारा 72 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अवधारित सामान्य वहन क्षमता या जहां किसी रेल प्रशासन ने धारा 72 की उपधारा (4) के अधीन परिवर्तित वहन क्षमता या ऐसी परिवर्तित क्षमता में, इनमें से जो भी अधिक हो, अभिप्रेत है।

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(ड.) इन शब्द और पद जो प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में दिए गए है।

3. **अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार:** जहां रेल वैगन में अधिक वस्तु लादी जाती है वहां रेल प्रशासन प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक वैगन की ढुलाई में गाड़ी द्वारा तय की गई समूची दूरी के लिए, लदान के पता चलने के बिंदु को ध्यान दिए बिना यथास्थिति परेषण, प्रेषिती या पृष्ठांकिती, से दंडात्मक प्रभारों की वसूली करेगा जैसा कि अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में स्थिति के भाग I, II और भाग III में उपबंधित है:

परंतु दंडात्मक प्रभार उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे यदि ग्राहक द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर ही अधिक लदान का पता पता चलने की दशा में स्वयं ही प्रारंभिक स्टेशन पर ही लदान समायोजन कर लेता है।

अनुसूची

(सी सी+6 के सिवाय, सी सी+6, सी सी+8 और 25 टन धुरी भार मार्गों पर लदाई के लिए)
स्थिति -क
यदि कुल संदाय लदान किसी रेक की समिल्लित अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक नहीं है तो निम्नानुसार दंडात्मक प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे:
भाग-I
बीसीएनएचएल और बीसीसीडब्ल्यू वैगनों को छोड़कर, अन्य वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता तथा एक टन सह्यता लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार

यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है:	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं
(ख) एक टन से अधिक किंतु चार टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना
(ग) चार टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना

* स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु को प्रदान की गई श्रेणी पर लागू दर पर सामान्य माल भाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन क्षमता और एक टन सह्यता लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

भाग-II

बीसीएनएचएल और बीसीसीडब्ल्यू वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है:	
(क) तीन टन तक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना
(ख) तीन टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना

* स्पष्टीकरण: अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूलनीय होंगे।

भाग-III

कंटेनर गाड़ियों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता तथा एक टन सह्यता लदान से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है:	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं
(ख) एक टन से अधिक परंतु चार टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना

(ग) चार टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना

* स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु पर लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन क्षमता और एक टन सह्यता लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

स्थिति-ख

यदि कुल संदाय लदान किसी रेक की सम्मिलित अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है तो निम्नानुसार दंडात्मक प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे:

भाग-I

बीसीएनएचएल और बीसीसीडब्ल्यू वैगनों को छोड़कर अन्य वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है:	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं
(ख) एक टन से अधिक किंतु चार टन से अधिक नहीं	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ग) चार टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का पांच गुना

*स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु को प्रदान की गई श्रेणी पर लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा। तथापि, यदि भार एक टन से अधिक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है तो दंडात्मक प्रभार अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए वसूल किए जाएंगे।

भाग-II

बीसीएनएचएल और बीसीसीडब्ल्यू वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार

यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है:	
(क) तीन टन तक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ख) तीन टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का पांच गुना

* स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूलनीय होंगे।

भाग-III

कंटेनर गाड़ियों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है:	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं
(ख) एक टन से अधिक किंतु चार टन से अधिक नहीं	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ग) चार टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का पांच गुना

*स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु पर लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा। तथापि, यदि भार एक टन से अधिक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है तो दंडात्मक प्रभार अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए वसूल किए जाएंगे।

[फा. सं. टीसी-I/2006/109/6 भाग-II]

कुंदन सिन्हा, सलाहकार (दर)

3612 GI/12-2

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

G.S.R. 570(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989(No.24 of 1989), and in supersession of the **Railways(Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2007** and **Railways(Punitive charges for overloading of wagon) Amendment Rules, 2011**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the **Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012.**
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "freight rate" means the rate applicable to a commodity as per the class assigned in the classification;
(b) "normal freight" means the freight charge recoverable on a commodity at the class rate for the weight of the commodity loaded upto permissible carrying capacity plus loading tolerance, as specified in the Schedule;
(c) "permissible carrying capacity" means the normal carrying capacity determined under subsection(2) or (3) of section 72 or where a railway administration has determined a varied carrying capacity under sub-section (4) of section 72, such varied carrying capacity, whichever is higher;
(d) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
(e) words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Punitive charges for overloading.-** Where the commodities are over-loaded in Railway wagon, the railway administration shall recover punitive charges as provided in parts I, II and III of the situation at 'A' and 'B' of the Schedule, from the consignor, the consignee or the endorsee as the case may be, for the entire distance to be traveled by the train hauling the wagon from the originating station to the destination point, irrespective of the point of detection of overloading:

Provided that no punitive charges shall be levied if the customer carries out load adjustment at the originating station itself in case of detection of overloading at originating point.

SCHEDULE

(for loading on excepted CC+6, CC+6, CC+8 and 25 tonne axle load routes)

Situation-A

If the aggregated pay load in a rake does not exceed the combined permissible carrying capacity of the rake, the punitive charges shall be levied as per following, namely:-

Part-I

For wagons other than BCNHL and BCCW wagons

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto one tonne	Nil
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity
(c) by more than four tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class

* Explanation.- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the class assigned to the commodity shall be recoverable and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne.

Part-II

For BCNHL and BCCW wagons

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity.
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto three tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity
(b) by more than three tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class

*Explanation.- Punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

2612 GI/12-3

Part-III

For Container train

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne
If the weight of commodity exceeds the permissible carrying capacity of the wagon;	
(a) upto one tonne	Nil
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity
(c) by more than four tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class

* Explanation.- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne.

Situation-B

If the aggregated payload in a rake exceeds the combined permissible carrying capacity of the rake, the punitive charges shall be levied as per following:

Part-I

For wagons other than BCNHL and BCCW wagons

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto one tonne	Nil
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class
(c) by more than four tonnes	Five times of the freight rate applicable to the highest class

*Explanation. - It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the class assigned to the commodity shall be recoverable. However, in case of weight exceeds the permissible carrying capacity by more than one tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

Part-II

For BCNHL and BCCW wagons

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto three tonnes	Three times of the freight rate applicable to highest class
(c) by more than three tonnes	Five times of the freight rate applicable to the highest class

* Explanation.- It is hereby clarified that punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

Part-III

For Container train

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of the commodity loaded in excess of permissible carrying capacity
If the weight of commodity exceeds the permissible carrying capacity of the wagon;	
(a) upto one tonne	Nil
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class
(c) by more than four tonnes	Five times of the freight rate applicable to the highest class

*Explanation.- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable. However, in case of the weight exceeds the permissible carrying capacity by more than one tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

[F. No. TC-I/2006/109/6 Part-II]

KUNDAN SINHA, Adviser (Rates)

Printed by the Manager Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.